

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 950/09

संस्थित दिनांक-08.12.2009

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

सिरनाम पुत्र हरीशंकर उम्र 47 साल

निवासी-महेबा थाना पावई, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 23.03.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि आपने दिनांक 12.11.2009 को शाम 06:40 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा के पास डम्पर क्रमांक एमपी 30 एच0ए0 0253 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं बस नं0 एम0पी0 07 पी0 0403 को टक्कर मारी, जिससे बस चला रहे फरियादी रामेश्वर तथा बस में बैठी सवारियां रवीन्द्र परमार तथा सुधीर को चोटे आई एवं बस में बैठे अर्पण, महेश, रामकुमार तथा बेबी शर्मा को गंभीर चोटे आई।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामेश्वर सिंह गुर्जर दि0 12.11.09 को शाम के समय सवारी बस क्रमांक एम0पी0 07 पी0 0403 को भिण्ड से ग्वालियर चला कर ले जा रहा था। बस शाम 06:40 बजे जैतपुरा के पास पहुंची तभी ग्वालियर की तरफ से एक डम्पर क्रमांक एम0पी0 30 एन0ए0 0253 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और बस में टक्कर मार दी, जिससे बस के सामने वाला हिस्सा पिचक गया। फरियादी एवं बस में बैठी सवारियां महेश, अर्पण, सुधीर व रविन्द्र को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध क्रमांक 193/ 09 पंजीबंध किया गया। दौराने अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। एक्सरे परीक्षण कराए गए। वाहन जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधार अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.11.2009 को शाम 06:40 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा के पास डम्पर क्रमांक एमपी 30 एच0ए0 0253 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या उक्त स्थान, दिनांक व समय पर फरियादी रामेश्वर तथा बस में बैठी सवारियां रवीन्द्र परमार, सुधीर, अर्पण, महेश, रामकुमार तथा बेबी शर्मा को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने डम्पर क्रमांक एमपी 30 एच0ए0 0253 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर बस नं0 एम0पी0 07 पी0 0403 को टक्कर मारी, जिससे आहतगण को उक्त प्रकार की चोटें कारित होकर उपहति पहुंची?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामेश्वर सिंह गुर्जर अ0सा0 1, रविन्द्र सिंह अ0सा0 2, रामकुमार शर्मा अ0सा0 3, बेबी पाठक अ0सा0 4, महेश श्रीवास अ0सा0 5, डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 6, बालकिशन जोशी अ0सा0 7, सुधीर अ0सा0 8, अर्पण अ0सा0 9, डॉ0 व्ही0के0डी0 जैन अ0सा0 10, भारतेन्दु आरसे अ0सा0 11 एवं डॉ0 इन्द्रकुमार बाथम अ0सा0 12 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //**

6. फरियादी रामेश्वर अ0सा0 01 यह कथन करते हैं कि उनकी साक्ष्य दिनांक 24.07.2014 से 3-4 साल पहले की बात है। वे रामनाथ सिकरवार की बस पर चालक का काम करते थे। वे बस को भिण्ड से लेकर ग्वालियर जा रहे थे। बस में सवारियां भी थीं। शाम का समय था, जैसे ही बस जैतपुरा के पास पहुंची तभी ग्वालियर तरफ से एक डम्पर आया और उसने बस में टक्कर मार दी। साक्षी कथन करता है कि उसने डम्पर नहीं देख पाया। टक्कर लगने से अपने दायने पैर में चोट आने का कथन करता है। घटना के संबंध में प्र0पी0 01 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। रविन्द्र अ0सा002 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे भिण्ड से ग्वालियर बस में बैठकर जा रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही बस जैतपुरा के पास पहुंची, उसी समय एक हरे रंग के डम्पर ने बस में टक्कर मार दी। साक्षी यह कथन करता है कि

उसे टक्कर लगने से अस्थिभंग एवं एवं बांये कंधे में चोट आई थी। साक्षी ड्राइवर को व एक भोपाल के लड़के को चोट आने का कथन करता है और इलाज जे0ए0एच0 अस्पताल ग्वालियर में होना बताता है। रामकुमार शर्मा अ0सा0 03 यह कथन करते हैं कि वे अपनी बहन बेबी के साथ बस में बैठकर मेंहगांव से अपने गांव तिलौरी साक्ष्य से 5-6 साल पहले जा रहे थे। बस जैतपुरा या जस्तपुरा पर पहुंची तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी यह कथन करता है कि उन्हें दायने हाथ में चोट आई थी। बाद में फ्रैक्चर होने से रॉड डाली गई थी। उसकी बहन बेबी को पैर में फ्रैक्चर होना बताता है तथा इलाज सरकारी अस्पताल ग्वालियर में होना बताता है।

7. बेबी अ0सा0 04 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती है कि साक्ष्य से 5-6 साल पहले वे भिण्ड से दंदरौआ सरकार तरफ बस से जा रहे थे। रामेश्वर बस को चला रहा था। शाम के करीब 07:00 बजे बिरखड़ी के पास बस पहुंची तब ग्वालियर तरफ से एक डंपर आया, जिसके चालक ने तेजी व लापरवाही से चला कर बस में टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनका बायां पैर तीन जगह से टूट जाने और बांह में भी चोट आना बताती है, जिनका इलाज जयारोग्य अस्पताल में होने का कथन करती हैं। साक्षी महेश श्रीवास अ0सा0 05 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना 4-5 साल पहले की 6:30-07:00 बजे की है। वे भिण्ड से ग्वालियर बस से जा रहे थे। बरोही के आगे बस निकली तो गिट्टी के एक डंपर से टकरा गई थी। साक्षी दुर्घटना में उसकी कमर व दायने पैर तथा माथे में चोट आने तथा अन्य सवारियों को भी चोट आने का कथन करता है। सुधीर अ0सा0 08 अपने अभिसाक्ष्य में घटना वर्ष 2009 की वरषात के सयम रात करीब 08:00-08:30 बजे की बताते हैं और यह कथन करते हैं कि वे भिण्ड से ग्वालियर बस में बैठकर जा रहे थे। मेंहगांव के आगे जैतपुरा के आगे बस के चालक ने आगे चल रहे डंपर को ऑवरटेक करने की कोशिश की तो सामने से आ रहे डंपर के चालक ने टक्कर मार दी थी और दोनों वाहन तेजी से चल रहे थे। साक्षी दुर्घटना में उसे सीने में चोट आना तथा गोहद में इलाज होना और बाद में ग्वालियर रैफर किए जाने का कथन करता है। अर्पण अ0सा0 09 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती हैं कि वे भिण्ड से ग्वालियर बस में बैठकर जा रहे थे। शाम 07:00- 07:30 बजे ग्राम गिंगरखी के पास डंपर तेज स्पीड से लहराता हुआ आया और बस में टक्कर मार दी थी। साक्षी यह कथन करता है कि वह चालक के पीछे बैठा था और टक्कर लगने से उसके पैर में चोट आई और फ्रैक्चर हो गया था। साक्षी उसका इलाज पहले गोहद में और बाद में ग्वालियर होने का कथन करता है।

8. प्रकरण में चिकित्सक डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 06 परीक्षित कराए गए जो दिनांक 12.11. 2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हैं। साक्षी आहत् अर्पण पुत्र रमेश, रविन्द्र पुत्र केशव, महेश पुत्र नाथूराम, सुधीर पुत्र बाबूराम, रामेश्वर पुत्र साहब सिंह का चिकित्सीय परीक्षण किए जाने का कथन करते हैं।

9. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 6 आहत्गण को उनके शरीर पर चोटें होने के संबंध में कथन करते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

आहत् **अर्पण पुत्र रमेश** को निम्न चोटें पाई।

1. सीने में बीच के भाग में नील का निशान एकसरे की सलाह दी गई थी।
2. दायने घुटने पर 05 गुणा 0.3 गुणा 0.2 सेमी० का फटा हुआ घाव था। चोट की एकसरे सलाह दी गई थी।

आहत् **रविन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह** को निम्न चोटें पाई गई।

1. माथे पर बायीं तरफ 01 गुणा 0.3 गुणा 0.2 का फटा हुआ भाग।
2. बायीं भुजा में 01 गुणा 0.5 सेमी० का छिला हुआ घाव।
3. दाहिनी जांघ में 03 गुणा 1.5 सेमी० भाग में नील का निशान था।
4. बायीं जांघ में 03 गुणा 1.8 सेमी० भाग में नील का निशान था।

आहत् **महेश पुत्र नाथूराम** को पाई गई चोटें।

1. नाक पर 01गुणा0.5 सेमी० का छिले का घाव।
2. बायें पैर में 03गुणा 0.3 सेमी. छिले का घाव था। चोटों के लिए एकसरे की सलाह दी गई थी।

आहत् **सुधीर पुत्र बाबूराम** को पाई गई चोटें।

1. दाहिनी जांघ में 03गुणा1.5 सेमी का नील का निशान।
2. वार्यीं जांघ पर 03गुणा1.2 सेमी० का नील का निशान था।

आहत् **रामेश्वर पुत्र साहब सिंह** को पाई गई चोटें।

1. दाहिने घुटने पर 03गुणा02 सेमी० का छिलने का घाव था।
2. दाहिनी जांघ पर 04गुणा02 सेमी० नील का निशान था।
3. माथे पर 0.5गुणा1.2 सेमी० फटा हुआ घाव था।

10. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 06 द्वारा आहत् रविन्द्र सिंह, आहत् सुधीर व आहत् रामेश्वर को कारित चोटें साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण से 06 घंटे भीतर की कारित होने के संबंध में अपनी सुसंगत राय देते हैं, जबकि अन्य आहत् अर्पण, महेश को आई चोटें एकसरे के आधार पर उनकी प्रकृति बताए जाने का कथन करते हुए परीक्षण की अवधि से 06 घण्टे भीतर की चोट कारित होने के संबंध में अपनी सुसंगत राय देते हैं। चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा और आहत्गण के चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट क्रमशः प्र०पी० 04 लगायत 08 के रूप में प्रमाणित की हैं, जिन पर परीक्षण का समय दिनांक 12.11.2009 को शाम 07:40 से 08:15 बजे तक का लेख है। घटना दिनांक 12.11.2009 को शाम 06:40 का बताया गया है। रिपोर्ट प्र०पी० 01 में घटना के समय से चिकित्सक द्वारा आहत्गण के परीक्षण की अवधि 06 घण्टे के भीतर की होना साक्ष्य से समर्थित है। आहत्गण को



कारित चोटों के संबंध में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उन्हें चोट कारित नहीं थीं, बल्कि बस के खेत में अनियंत्रित होकर चले जाने से चोटें कारित होने का सुझाव दिया गया, जो कि दुर्घटना में आहतगण की चोटों के प्रमाणीकरण हेतु पर्याप्त है।

11. प्रकरण में डॉ० व्ही०के०डी० जैन अ०सा० 10 यह कथन करते हैं कि दिनांक 12.11.2009 को वे जे०ए० अस्पताल ग्वालियर में सीनियर मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत बेबी पत्नी रामलखन का मेडिकल परीक्षण करने पर उसके शरीर पर बांये पैर के उपरी भाग में फैली हुई सूजन एवं कंटूजन पाए जाने व अनियमित हलचल व घुटने में दर्द पाए जाने का कथन करते हैं। जांच के लिए एक्सरे की सलाह दी गई। ऑर्थोपैडिक डिपार्टमेंट में भर्ती व इलाज के लिए भेजे जाने का कथन करते हैं। उसी दिनांक को आहत रामकुमार पुत्र रामप्रकाश शर्मा का परीक्षण करने पर दायने हाथ के निचले भाग में फैली हुई सूजन व अनियमित हलचल एवं दर्द व कोहनी में रिस्टेक्टिक मूवमेंट का कथन करते हैं इस आहत को भी एक्सरे की सलाह दिए जाने व ऑर्थोपैडिक डिपार्टमेंट में भर्ती व इलाज के लिए भेजे जाने का कथन करते हैं। आहतगण को पाई गई चोटें परीक्षण अवधि के 06 घण्टे के भीतर सख्त व भौथरी वस्तु से आने तथा रिपोर्ट प्र०पी० 14 0 15 के रूप में प्रमाणित करते हैं। उनपर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को बताते हैं। उक्त आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 12.11.2009 को शाम 08:15 बजे एवं 08:25 बजे किये जाना दर्शाते हैं, जिससे घटना के 06 घण्टे के भीतर की चोटों के संबंध में चिकित्सीय अभिपुष्टी होती है।

12. डॉ० इन्द्रकुमार बाथम अ०सा० 12 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे दि.12.11.09 को रेडियोलॉजी विभाग में सहायक प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ थे। उनके साथ डॉ० नीतेश अग्रवाल द्वारा उक्त दिनांक को आहत अर्पण पुत्र रमेश का एक्सरे परीक्षण किए जाने पर छाती एवं बांयी जांघ के एक्सरे में बांयी जांघ की हड्डी एवं बाएं पैर के घुटने के नीचे की हड्डी में अस्थिभंग पाए जाने का कथन करते हैं उक्त दिनांक को ही आहत रामकुमार पुत्र रामप्रसाद का एक्सरे परीक्षण करने पर आहत को दांयी भुजा के एक्सरे में उक्त भुजा में अस्थिभंग पाए जाने का कथन करते हैं। आहत बेबी पत्नी रामलखन का एक्सरे परीक्षण करने पर उसके बाएं पैर में अस्थिभंग पाए जाने का कथन करते हैं। साक्षी आहतगण का एक्सरे परीक्षण डॉ० नीतेश अग्रवाल द्वारा किए जाने का तथ्य प्रकट करते हुए एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 16 लगायत 18 पर डॉ० नीतेश अग्रवाल के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। डॉ० नीतेश अग्रवाल के साथ इस चिकित्सक द्वारा लगभग 03 वर्ष तक कार्य करने से उनके हस्ताक्षर व हस्तलिपि से परिचित होने का कथन किया है। साक्षी की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन सुसंगत होकर कार्यवार के सामान्य अनुक्रम में निष्पादित किए जाने से आहतगण अर्पण, रामकुमार तथा बेबी को अस्थिभंग पाए जाने के संबंध में संपुष्टी करते हैं।

13. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से आहतगण को कारित चोटों के संबंध में कोई खण्डनात्मक सुझाव नहीं दिया गया। साक्षियों द्वारा उनकी बस दुर्घटना में चोटें आने के संबंध में कथन किया है। साक्षियों के कथन की पुष्टि चिकित्सीय अभिसाक्षी डा० आलोक शर्मा अ०सा० 6, डा० व्ही०के०डी० जैन अ०सा० 10 तथा डा० इन्द्रकुमार बाथम अ०सा० 12 के अभिसाक्ष्य एवं प्र०पी० 1 की रिपोर्ट, प्र०पी० 4 लगातय 8 एवं 14, 15 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तथा प्र०पी० 16 लगायत 18 की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से भी दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 12.11.09 को शाम करीब 6:40 बजे आहतगण रामेश्वर, रविन्द्र व सुधीर व महेश को उपहति तथा आहत अर्पण, रामकुमार तथा बेबी शर्मा को गंभीर उपहति सडक दुर्घटना में कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त के द्वारा उक्त दिनांक व समय पर वाहन डंफर क्रमांक एम०पी० 30 एन०ए०-0253 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त आहतगण का मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त चोटें कारित की गयी ?

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 //**

14. फरियादी रामेश्वर अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में जैतपुरा के पास एक डंफर द्वारा उसकी बस में टक्कर मार देने का कथन करते हैं किन्तु कथित डंफर का नंबर व उसके चालक के संबंध में कोई कथन नहीं करते। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में भी कथित डंफर का नंबर पूछा गया तो साक्षी ने उसे बताने में अस्मर्थता व्यक्त की। साथ ही साक्षी द्वारा इस तथ्य के संबंध में भी अनभिज्ञता व्यक्त की कि डंफर का चालक तेजी व लापरवाही से डंफर चला रहा था या नहीं जिसका कारण साक्षी सवारियों को देखना बताता है।

15. रविन्द्रसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जैसे ही बस जैतपुरा के पास पहुंची तभी ग्वालियर तरफ से एक हरे रंग का डंफर आया और उनकी बस में टक्कर मार दी। साक्षी अभिसाक्ष्य में कथित डंफर के तेजी से चलने का कथन करते हुए उसका नंबर एम०पी० 30 एच०ए० 0253 होना बताते हैं। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करते हैं कि वे डंफर के चालक को नहीं देख पाए थे व घटना के तुरंत बाद पलभर के लिए बेहोश हो गए थे। साक्षी रामकुमार अ०सा० 3 जैतपुरा या जस्तपुरा नामक स्थान पर डंफर के चालक द्वारा लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार देने का कथन करते हैं किन्तु यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में डंफर के नंबर व चालक के संबंध में कोई कथन नहीं करते। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि जैसे ही टक्कर हुई वे बेहोश हो गए थे और उन्हें ग्वालियर हास्पिटल में होश आया था। यह तथ्य सूचक प्रश्न में बताते हैं कि उन्होंने पुलिस को कथित डंफर का नंबर एम०पी०-30 एच०ए०-0253 का नंबर पुलिस को बताया होगा जबकि साक्षी प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि उन्होंने केवल डंफर देखा था, उसका नंबर नहीं

देखा था। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में अभिकथित डंफर व उसके चालक के संबंध में कोई सारवान तथ्य प्रकट नहीं होता है।

16. साक्षी बेबी अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में बिरखडी के पास बस पहुंची तब डंफर के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार देने का कथन करती हैं। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में न तो कथित डंफर का कोई नंबर बताती है और न ही उसके चालक को देख पाने का कथन करती है। सूचक प्रश्नों में भी पुलिस कथन प्र0पी0 3 में डंफर का नंबर लिखाए जाने से इंकार करती है। महेश श्रीवास अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि जब बस बरोही थाने के आगे निकली तो गिटटी के डंफर से टकरा गयी थी। साक्षी भी डंफर का नंबर पता न होने का कथन करते हैं। सूचक प्रश्नों में साक्षी कथन करते हैं कि वे चोट आने से बेहोश हो गए थे इसलिए डंफर चालक को नहीं पहचान सकते।

17. आहत सुधीर अ0सा0 8 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि जब उनकी बस मेहगांव से आगे जैतपुरा के पास पहुंची तो उनके बस के चालक ने आगे चल रहे एक डंफर को ओवरटैक करने की कोशिश की उसी समय सामने से आ रहे डंफर के चालक ने उनकी बस में टक्कर मार दी थी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में कथित बस और डंफर दोनों का तेजी से चलने का कथन करते हैं किन्तु कथित डंफर का नंबर और उसके चालक के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। साक्षी मुख्य परीक्षण में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर बताने में अस्मर्थ थे कि वह डंफर चला रहा था या अन्य कोई। साक्षी सूचक प्रश्न में स्वीकार करते हैं कि डंफर नंबर एम0पी0-30 एच0ए0-0253 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी, यह भी स्वीकार करते हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ही डंफर चला रहा था। इस साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने बस और डंफर का नंबर नहीं देखा था। यह भी स्वीकार करता है कि जिस डंफर के चालक ने टक्कर मारी उस समय उसने डंफर के चालक को नहीं देखा था। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वीकार करता है कि जब साक्षी न्यायालय में अभियुक्त के अधिवक्ता के साथ उसे देखकर पहचान लिया उसके आधार पर वह अभियुक्त को डंफर का चालक बता रहा है। इस प्रकार से यह साक्षी बार बार तथ्यों के संबंध में विरोधाभासी कथन कर रहा है ऐसे में उस पर अन्य साक्ष्य की संपुष्टि के बिना विश्वास का आधार उत्पन्न नहीं होता है।

18. साक्षी अर्पण अ0सा0 9 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि ग्राम गिंगरखी के पास डंफर तेज स्पीड में लहराता हुआ आ रहा था और उसने बस में सामने से टक्कर मार दी। साक्षी बस व डंफर का नंबर याद न होने तथा डंफर के चालक को सामने आने पर पहचानने का कथन करते हैं। अभियुक्त को न्यायालय में देखकर साक्षी कथन करते हैं कि वे उसे नहीं पहचान सकते जिसका कारण बहुत समय हो जाने के कारण पहचान में न आने का कथन करते हैं। साक्षी सूचक प्रश्नों की

कण्डिका 2 में कथित डंपर का नंबर सुझाए जाने पर डंपर का नंबर एम0पी0-30 एच0ए0-0253 होना स्वीकार करते हैं। साक्षी कण्डिका 3 में यह कथन करते हैं कि दीवानजी ने उनसे दुर्घटना कारित करने वाले डंपर का नंबर बताया था। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि जिस बस में वे बैठे थे उसका चालक तेजी से चला रहा था। ऐसे में सर्वप्रथम तो कथित डंपर के संबंध में साक्षी द्वारा उसका नंबर अनुसंधानकर्ता द्वारा ज्ञात होने का कथन किया गया है साथ ही वे अभियुक्त को देखकर उसके वाहन चालक के रूप में पहचानने में अस्मर्थ हैं। साथ ही साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कथित बस के चालक द्वारा तेजी से चलाए जाने का कथन किया है। सुधीर अ0सा0 8 ने भी बस व डंपर दोनों का तेजी से चलने का कथन किया था।

19. प्रकरण में किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा अभियुक्त के अभिकथित डंपर के चालक के रूप में होने का कोई भी कथन नहीं किया है। जो साक्षी सुधीर अ0सा0 8 अभियुक्त का डंपर चालक के रूप में होने का तथ्य स्वीकार करता है वह भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में अभियुक्त को अधिवक्ता के साथ देखने पर उसी के आधार पर उसे डंपर चालक के रूप में बताए जाने का कथन करता है। ऐसे में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में उक्त अभियोजन साक्ष्य में कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हैं। साक्षी बालकिशन अ0सा0 7 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 12.11.09 को उन्होंने फरियादी रामेश्वर की रिपोर्ट पर प्र0पी0 1 की प्राथमिकी लेख की थी जिस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी यह कथन करते हैं कि दिनांक 27.11.09 को उन्होंने अभिकथित डंपर को अभियुक्त से जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 11 बनाया था। साक्षी उक्त जब्ती पत्रक पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साथ ही उक्त दिनांक को ही गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 10 बनाए जाने का कथन कर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। इस प्रकार से अभियुक्त को घटना दिनांक को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही अभिकथित डंपर उक्त दिनांक को अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त किया गया बल्कि अभिकथित घटना दिनांक 12.11.09 से 15 दिन बाद अर्थात् दिनांक 27.11.09 को जब्त किया गया है। ऐसे में अभियुक्त की संलिप्तता का आधार मात्र उसके आधिपत्य से घटना से 15 दिन बाद वाहन की जब्ती दर्शाई गयी है। वाहन किसी व्यक्ति से जब्त हो जाना उसके अमुक दिनांक को सुसंगत समय पर वाहन चालक होने का प्रमाण नहीं हो सकता है।

20. प्रकरण में अभियोजन का साक्षी भारतेंदु अ0सा0 11 महत्वपूर्ण हैं जो यह कथन करता है कि उसने थाना गोहद चौराहा पर जब्तशुदा वाहन एम0पी0-30 एच0ए0-0253 की मैकेनिकल जांच की थी। उक्त मैकेनिकल जांच में साक्षी वाहन के ब्रेक, स्टेयरिंग, क्लिच, एक्सीलेटर सही पाए जाने का कथन करते हुए कथित वाहन में कोई टूटफूट न पाए जाने का कथन करते हैं जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी0 16 के रूप में बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। यहां तथ्य ध्यान देने



योग्य हैं कि साक्षियों ने कथित डंपर की बस से टक्कर होने का कथन किया है। ऐसे में बस को क्षति होने का तथ्य प्रकट किया है जबकि मैकेनिकल जांचकर्ता के द्वारा वाहन डंपर में कोई टूटफूट न पाए जाने का कथन किया है। ऐसे में संभव नहीं हैं कि एक वाहन को क्षति कारित हो और दूसरे को कोई क्षति कारित न हो। साथ ही यहां उल्लेखनीय है कि प्रोपी0 16 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट साक्षी भारतेंदु अ0सा0 11 के कथनों के विपरीत है जिसमें "वाहन की अगली सौ" पिचक जाने का तथ्य लेख किया गया है जबकि साक्षी ने जब्तशुदा वाहन में टूटफूट न पाए जाने का कथन किया है। साथ ही प्रोपी0 16 में कथित डंपर का न तो इंजिन नंबर लेख है न ही चैसिस नंबर लेख है ऐसे में मैकेनिकल जांच के संबंध में अभियोजन कार्यवाही प्रश्नचिन्हित हो जाती है।

21. प्रकरण में अभियोजन के किसी भी साक्षी ने कथित डंपर एमपी0-30 एच0ए0-253 के चलाए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि डंपर क्रमांक एमपी-30 एच0ए0-0253 से दुर्घटना कारित हुई तो भी अभियुक्त उसे सुसंगत समय व दिनांक को चला रहा था ऐसा कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं। अभियुक्त से घटना के 15 दिन बाद वाहन जब्ती अनुसंधानकर्ता बालकिशन अ0सा0 7 द्वारा दर्शाया जाना अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु अपर्याप्त साक्ष्य है।

22. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस. सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 12.11.2009 को शाम 06:40 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा के पास डम्पर क्रमांक एमपी 30 एन0ए0 0253 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं बस नं0 एम0पी0 07 पी0 0403 को टक्कर मारी, जिससे बस चला रहे फरियादी रामेश्वर तथा बस में बैठी सवारियां रवीन्द्र परमार तथा सुधीर को चोटे आई एवं बस में बैठे अर्पण, महेश, रामकुमार तथा बेबी शर्मा को गंभीर चोटे आई। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

24. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

25. यदि अभियुक्त निरोध में रहा हो तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही /—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश